आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या ५५७/2026 अनवान ***भूरपुरी बनाम सरगती वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10.06.26	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) बागोड़ा द्वारा पारित संशोधित आदेश क्रमांकः भू.अ./कमेटी/2026/1599 दिनांक 19.05.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने मुख्यतः यह आग्रह किया कि उपरोक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी भीनमाल (जालोर) द्वारा मु.सं. 03/2009 बअनवान सगरतीदेवी बनाम भूरपुरी में अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 26.02.2010 की पालना में ग्राम राउता के ख0नं0 757, 758 एवं ख0नं0 756 के मध्य नियत तिथि को पत्थरगढी करने हेतु नवीन टीम गठन का पारित किया गया है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश फरमावे। जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता ने तहसीलदार बागोडा का आदेश प्रशासनिक श्रेणी का होने के कारण, उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाने का आग्रह किया गया। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील तहसीलदार बागोड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के नेखमबंदी आदेश दिनांक 26.02.2010 की पालना में टीम गठन के संशोधित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो प्रशासनिक आदेश की श्रेणी का है। आरएलआर एक्ट की धारा 75 एवं 76 के तहत भू.अभिलेख अधिकारी द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित मूल आज्ञा के विरूद्ध भू. अभिलेख निदेशक को अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान है। इस स्थिति में उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर